न्यायालय– अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव।

स्वत्व वाद सं0 704/2022

लक्ष्मण मिश्र ––––––– वादी।

बनाम

पारसनाथ मिश्र वगै0––––––प्रतिवादीगण।

02.05.2023 वादा की ओर से दिनांक–02.05.2023 को दाखिल आवेदन को संचालित किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि मन मुदई का अपने दीगर हिस्सेदारान से यादाश्त बंटवारा दिनांक– 20.04.2023 से कुल एराजीयात के बावत एलहदगीहो गया है तथा मन मुदई पेदर के हक हिस्सा में मिली एराजी में ही हिस्सेदार है। ऐसे हालात में यह मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः प्रार्थी आवेदन दाखिल कर अनुरोध करता है कि प्रार्थी का यह मुकदमा वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये। तथा मुकदमा वापस लेने के आधार पर वाद को खारिज किया जाये।अतः प्रार्थना है कि वर्तमान मोकदमा को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाये।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी अपने आवेदन में कथन किये हैं कि मन मुदई का अपने दीगर हिस्सेदारान से यादाश्त बंटवारा दिनांक– 20.04.2023 से कुल एराजीयात के बावत एलहदगीहो गया है तथा मन मुदई पेदर के हक हिस्सा में मिली एराजी में ही हिस्सेदार है। ऐसे हालात में यह मुकदमा चलाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है अतः प्रार्थी आवेदन दाखिल कर अनुरोध करता है कि प्रार्थी का यह मुकदमा वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये। तथा मुकदमा वापस लेने के आधार पर वाद को खारिज किया जाये।अतः प्रार्थना है कि वर्तमान मोकदमा को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाये। आवेदन शपथ पत्र द्वारा समर्थित है। अतः वाद वापसी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है तदनुसार यह वाद खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

ह0/–

अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव।